



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 6, शुक्रवार, शाके 1941-अप्रैल 26, 2019

Vaisakha 6, Friday, Saka 1941-April 26, 2019

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 1, 2019

संख्या एफ-7 (76/2)/ रालसा /निदेशक/ पीएलएगठन /2017/116 माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंषा को राजस्थान सरकार, विधि (गुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या पं. 8(7) विधि/2/विरसं/90 पार्ट/46 दिनांक 28.02.2019 द्वारा अनुमोदन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्सम्बन्धित स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 के अधीन राज्य सरकार द्वारा 9 जिलों दौसा, चुरू, बालोतरा (जिला बाड़मेर), मेड़ता (जिला नागौर), धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद के गठन के आदेश क्रमांक पं.8 (1) विधि/2/विरसं/39/2002/846 दिनांक 02.07.2018 की पालना में उक्त 9 जिलों में पूर्णकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति एवं पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त आज्ञा से स्थाई लोक अदालत, सीकर के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत श्री भल्लाराम परमार को स्वयं की प्रार्थना पर बालोतरा (जिला बाड़मेर) स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किये जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं इस प्राधिकरण के द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों के अधीन वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करते हुये पूर्णकालिक नियुक्ति/स्थानान्तरण अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के पद पर एतद्वारा निम्न प्रकार की जाती है:-

क्र.सं.	स्थाई लोक अदालत जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय	अध्यक्ष का नाम	पद नाम	स्थाई लोक अदालत का क्षेत्राधिकार
1-	बालोतरा (बाड़मेर)	श्री भल्लाराम परमार नोट: मूल नियुक्ति आदेश संख्या एफ7(76)रालसा/जे.एस./संस्था/पी एलएगठन/2018/239 दिनांक 10.05.2018 के अधीन शेष अवधि के लिए	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला

2-	दौसा	श्री बृजेश कुमार डांगरा	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला
3-	चुरू	श्री सुरेन्द्र मोहन शर्मा	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला
4-	सीकर	श्री अशोक कुमार व्यास	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला
5-	मेड़ता	श्री सतीश कुमार व्यास	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला
6-	धौलपुर	श्री योगेश कुमार गुप्ता	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला
7-	सिरोही	श्री राजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला
8-	झालावाड़	श्री रामनिवास जाट	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला
9-	हनुमानगढ़	श्री विष्णु दत्त शर्मा - II	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला
10-	प्रतापगढ़	श्री योगेश कुमार शर्मा	अध्यक्ष	संपूर्ण राजस्व जिला

1. श्री भल्लाराम परमार को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर परिवर्तित/स्थानान्तरित किया गया है, अतः उन्हें किसी प्रकार का टी.ए./डी.ए./कार्यग्रहण काल या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
2. क्रम सं. 2 से 10 को 11 मार्च 2019 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
3. उक्त समस्त नियुक्तियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्सम्बन्धित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 एवं प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
4. उक्त समस्त स्थानों पर उपलब्ध ए.डी.आर. भवन/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थाई लोक अदालत का संचालन होगा।
5. क्रम सं. 2 से 10 तक की नियुक्ति प्रारम्भिक तौर पर एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

अशोक कुमार जैन,

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।